[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

New Delhi, the 02nd June, 2016

_(E)- In exercise of the powers conferred by section 295 read with subsection (2) of section 14A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-1. (1) These rules may be called the Income-tax (14th Amendment) Rules, 2016. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. In the Income-tax Rules 1962, in rule 8D,-(I) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-"(2) The expenditure in relation to income which does not form part of the total income shall be the aggregate of following amounts, namely: -(i) the amount of expenditure directly relating to income which does not form part of total income; and (ii) an amount equal to one per cent of the annual average of the monthly averages of the opening and closing balances of the value of investment, income from which does not or shall not form part of total income: Provided that the amount referred to in clause (i) and clause (ii) shall not exceed the total expenditure claimed by the assessee."; (II) sub-rule (3) shall be omitted. [Notification No.43 / 2016] [F.No. 370142/7/2016-TPL]

Under Secretary to Government of India

Note:- The principal rules were published vide Notification S.O. 969 (E), dated 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (13th Amendment) Rules, 2016 vide Notification S.O. (E), dated 31.05.2016.

2/6/18

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 02 जून, 2016

का.आ.....(अ)—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 14क की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (<u>चौदहवाँ</u> संशोधन) नियम, 2016 है।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 8घ में,--
 - (I) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :--
 - ''(2) आय के संबंध में व्यय, जो कुल आय का भाग नहीं बनता है, वह निम्नलिखित रकमों का योग होगा, अर्थात्:--
 - (i) आय से प्रत्यक्षत: संबंधित व्यय की रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनता है; और
 - (ii) विनिधान के मूल्य के आदि अतिशेष और अंत अतिशेष की मासिक औसत के वार्षिक औसत के एक प्रतिशत के बराबर रकम, जो कुल आय का भाग नहीं है या भाग नहीं बनती है:

परंतु खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट रकम निर्धारिती द्वारा दावा किए गए कुल व्यय से अधिक नहीं होगी।";

(II) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं.५] / 2016 : फा. सं. 370142/7/2016-टीपीएल]

डा. टी.एस. मपवाल) अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन आय-कर (तेरहवाँ संशोधन) नियम, 2016 द्वारा अधिसूचना सं. का.आ.(अ) तारीख 31.05.2016 द्वारा किया गया था।